राजस्थान – सरकार

कार्यालय जिला कलक्टर (आपदा प्रबंधन एवं सहायता) प्रतापगढ़

क्रमांकः– आ.प्र. एवं सहा./अग्नि/स्वीकृति/2021/ 4666-73, दिनांकः12 जुलाई, 2021

–: संशोधित स्वीकृति आदेश :–

तहसील कार्यालय अरनोद द्वारा उनके उपखण्ड/तहसील क्षेत्र में आगजनी से पशुक्षति पर पीडित को क्षतिपूर्ति हेतु निम्नाकिंत प्रकरण बाद अनुशंषा आर्थिक सहायता हेतु भिजवाया गया है ।

अतः उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार अरनोद की अनुषंषा के आधार पर एवं भारत सरकार के संषोधित आदेश No. 32–7/2014– NDM-1 दिनांक 08.04.2015 के बिन्दु संख्या 06 (01) में वर्णित प्रावधानानुरूप व पशुपालन विभाग की रिपोर्ट अुनसार पीड़ित व्यक्ति को उसके नाम के सम्मुख अंकित राशि बतौर आगजनी से पशुक्षाति होने से हुई क्षतिपूर्ति हेतु कार्यालय आदेश 4277–84 दिनांक 16.06.2021 को स्वीकृति आदेश जारी कर मांग की गई। चूकी **एक व्यक्ति को एक से अधिक पशु क्षति होने पर अधिकतम 90000/– रूपये की सहायता प्रदान की जा सकती है** अतः प्रकरण में दुधारू पशु **1 भैस 2 गाय** की क्षति होने पर 90,000/– रूपये की सहायता एतद् द्वारा स्वीकृत की जाती है ।

क्र. स.	पीड़ित का नाम व पता	दुर्घटना तिथि एंव विवरण	स्वीकृत राषि
01	**श्री भागीरथ पिता मन्नालाल नाई निवासी नौगांवा तहसील अरनोद**	**दिनांक 24.03.21 को आगजनी से 1 भैस, 2 गाय, की जलने से मृत्यु होने पर**	**90,000/–रू.**
	कुल योग		**90,000/–रू.**

(अक्षरे नब्बे हजार मात्र)

नोटः–

1. राशि का आहरण निम्न लेखा मद से किया जायेगाः
   2245– प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 01– सूखा,
   800– अन्य व्यय, (03)– राहत कार्यो पर व्यय
   (02)– अग्नि सहायता, 12– सहायतार्थ अनुदान (गैर संवेतन)
2. राशि के आहरण एंव व्यय में आपदा प्रबन्धन एंव सहायता विभाग सामान्य वित्तीय एंव लेखा नियमों तथा इस कार्यालय से समय–2 पर जारी आदेशो/निर्देशो की पालना सुनिश्चित की जावें।
3. आवंटित राशि से अधिक व्यय नही किया जावें।
4. स्वीकृत राशि का भुगतान अविलम्ब किया जावें।

(रेणु जयपाल)
जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
o/c **प्रतापगढ़**

क्रमांकः– आ.प्र. एवं सहा./अग्नि/स्वीकृति/2021/ 4666-73 दिनांकः12 जुलाई, 2021

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ एंव आवष्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. संयुक्त शासन सचिव महोदय, आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. वित्तीय सलाहकार, आपदा प्रबन्धन सहायता एवं नागरिक सुरक्षा विभाग राज. जयपुर।
3. उपखण्ड अधिकारी अरनोद।
4. परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, प्रतापगढ़।
5. कोषाधिकारी प्रतापगढ़।
6. तहसीलदार, अरनोद को भेज लेख है कि आप उक्त पीड़ित के नाम से किसी बैंक में संचालित बचत खाता के पूर्ण विवरण की सूचना मय बचत डायरी की छाया प्रतियों के 02 दिवस मे इस कार्यालय को भिजवावें ताकि स्वीकृत राशि ऑन लाईन बिल द्वारा सीधे संबंधित के खाते में स्थानान्तरित की जा सके साथ ही स्वीकृत होने वाली राशि का उपयोग पशु कय करने के संबध में पीड़ित से शपथ पत्र भी लिये जाकर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें।
7. जिला सूचना एंव जन सम्पर्क अधिकारी प्रतापगढ।
8. लेखा अनुभाग, कार्यालय हाजा को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

जिला कलक्टर एवं प्रमुख,
जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण,
o/c **प्रतापगढ़**